न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व वाद संख्या : ~~0_/2024~~ 06/2024

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी — खेमचन्द्र खत्री

मुकदमा– राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2024	प्रकरण तहसीलदार लूणी के पत्र कंमाक/राजस्व/2024/598 दिनाक 28.05.2024 के द्वारा प्राप्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को रजि,एडी से समन जारी होकर पत्रावली दिनाक 10.07.2024 को पेश हों सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	
10.07.2024	पत्रावली पेश हुई पत्रावली अप्रार्थी के समन तामिल वास्ते इन्तजार होकर पत्रावली दिनाक 23.07.2024 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	
23.07.2024	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता धनश्याम मुथा द्वारा अप्रार्थी के ओर से वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया प्रकरण मे अप्रार्थी द्वारा बहस किया जाने का निवेदन किया गया जिस पर सुना गया बहस पर मनन किया गया दस्तावेज का अवलोकन किया गया अप्रार्थी द्वारा भूमि को कृषि आधारित उधोग हेतु सपरिवर्तन करवाने के लिए धारा 90ए भू,राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही जोधपुर विकास प्राधिकारी जोधपुर मे कर रखी है और आदेश दिनाक 26.06.2024 को पारित हो चुका है। जिसकी छायाप्रति अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की गई। हमने बहस उभपक्षकारान् की सुनी गई पत्रावली तथा दस्तावेजो का अवलोकन किय गया जबकि अप्रार्थी द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकारी जोधपुर के साथ भू,उपयोग संपरिवर्तन की पत्रावली की प्रति प्रस्तुत की है जिससे स्पप्ट है कि अप्रार्थी द्वारा विधि बल रूप से अपनी खातेदारी की भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ (औधोगिकी प्रयोजनार्थ) भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अमल मे लायी जा चुकी है आदेश दिनाक 26.06.2024 को पारित हो चुका है। किसी भी खातेदार को अपनी भूमि का विधिनुसार भू–उपयोग संपरिवर्तन करना का अधिकार है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	

Scanned by CamScanner